उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

कार्यालय आदेश

ज्ञातव्य हो कि तम्बाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 13 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। Global Adult Tobacco Survey (GATS 2) के अनुसार झारखण्ड में 38.9 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रुप में तम्बाकू का सेवन करते है, जिसमें 59.7 प्रतिशत पुरुष एवं 17.0 प्रतिशत महिलाए हैं। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाली घातक बीमारियों (यथा कैंसर, हृदय रोग एवं फेफड़ों आदि) के संबंध में जनमानस में युक्तिसंगत तरीकों से जागरूकता फैलाया जाना आवश्यक है।

तम्बाकू नियन्त्रण से संदर्भित वैधानिक कानून (COTPA 2003) के प्रर्वतन (enforcement) के प्रतिबद्ध प्रयासों से जन मानस को धूम्रपान के फलस्वरूप होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप रू0 200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

यत्र–तत्र थूकने से कई गम्भीर बीमारियों यथा इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू, कोरोना इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। तम्बाकू खाने वाले भी यत्र–तत्र थूक कर गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलने के लिये उपयुक्त परिस्थिति तैयार करते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो– उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास/अथवा दो सौ रुपए तक के जूर्माना से दंडित किया जाएगा। साथ ही परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो के लिये भारतीय दण्ड संहिता धारा 290 में अन्तर्गत दंडित किया जाएगा।

उक्त के आलोक में जिले के सभी सरकारी संस्थान एवं परिसर यथा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, थाना, शॉपिंग मॉल, बैंक, होटल एवं रेस्टोरेंट, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, सिनेमा घर आदि को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। फलस्वरूप इन परिसरों में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं पर विधिसंवत कार्रवाई की जाएगी जिस हेतु प्रत्येक सरकारी कार्यालय/प्रतिष्ठान में एक विशेष पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाना है।

उक्त के आलोक में निदेशित है कि:–

i) अपने–अपने संस्थानों एवं कार्यालय परिसरों को तत्काल तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए विषेष पदाधिकारी दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रधिकृत करें।

ii) आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपयुक्त स्थलों पर संलग्न प्रारूप के अनुसार बोर्ड लगवाना (दीवार लेखन) कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश के उल्लंघनकर्त्ताओं को दण्डित करने के लिये प्रधिकृत विशेष पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल न0 को दिवार लेखन के प्रारुप में अंकित किया जाना है।

iii) दण्डात्मक कार्रवाई हेतु चलान बुकलेट एवं स्पॉट फाईन बुकलेट जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी–सह–जिला नोडल पदाधिकारी NCD cell सदर अस्पताल परिसर, देवघर से प्राप्त किया जाना है तथा प्रत्येक माह किये गए दण्डात्मक कार्रवाई की विवरणी, विहित प्रपत्र में, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, देवघर को समर्पित की जानी है।

Scanned by CamScanner

आपका यह प्रयास देवघर जिला को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाने के साथ जन मानस के जीवन को गुणवत्तायुक्त एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में योगदान देगा।

ह०/11/02/2021
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
देवघर ।

ज्ञापांक 18 (NCD) / देवघर दिनांक 11/02/2021

प्रतिलिपि :– सभी नामित सदस्य/ सभी चिकित्सा प्रभारी चिकित्सा सामुदायि स्वास्थ्य केन्द्र, देवघर जिलान्तर्गत /जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, देवघर /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, देवघर /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर / सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, देवघर /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, देवघर /सभी अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर /असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर /उप–विकास आयुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– सिनेमा मजिस्ट्रेट, देवघर को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि अपने स्तर से जिले के सभी सिनेमा हॉल के मालिक/प्रबंधक को इस आशय का बोर्ड लगाने का निदेश देते हुए बोर्ड लगवाना सुनिश्चित शिक्षण करेंगे।

प्रतिलिपि : खाध सुरक्षा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिले के सभी होटलों एवं रेस्टोरेंटों में इस आशय का बोर्ड लगाने का निदेश देते हुए एवं बोर्ड लगवाना सुनिश्चित शिक्षण करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/11/02/2021
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
देवघर ।

अनुलग्नक :–

Scanned by CamScanner

यह परिसर / भवन तम्बाकू मुक्त है

इस परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर ₹ 200 (दो सौ) तक का जुर्माना किया जायेगा।

यदि कोई भी व्यक्ति धुम्रपान या चबाने वाला तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाया जाता है तो निम्नांकित पदाधिकारी को सूचित करें:-

नामः ....

पदनाम .... मोबाईल नं. ....

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

जिन्दगी चुनें, तम्बाकू नहीं
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

Scanned by CamScanner